

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

उस्मान रैन

वनाम

शरीफ परवाना

वाद संख्या-34/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

प्रश्नगत भूमि का विवरण वाद पत्र में वर्णित है जिसमें कुल 23 खेसराओं का उल्लेख किया गया है।

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी का भूखण्ड जिसका मौजा पाली थाना वो अंचल घनश्यामपुर जिला दरभंगा के खाता नं० 1040 नया खेसरा 6476, 6433, 6452, 7473, 4572, 4624, 4625, 5985, 6811, 6817, 6461, 854, 1796, 6561, 1962, 6477 में कुल रकवा 90 डि० में से वादीगण का 1/2 हिस्सा यानि 35 डि० वादीगण को उनके पिता मकसुदन राय के नाम से खतियानी मरौसी द्वारा प्राप्त है और शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। वादी को मौजा पाली थाना वो अंचल घनश्यामपुर जिला दरभंगा के खाता 1040 खेसरा 2966 नया 1961 नया 4982 नया 6408 नया 4491 नया रकवा 33 डि० में से 1/4 हिस्सा वादीगण का है जिसे मरौसी खतियान इनके पिता महमुद रैन के नाम से प्राप्त है और शांतिपुर्ण दखल कब्जा में हैं। वादीगण को 1040 नया खेसरा 6809 नया रकवा 15 डि० जमीन वादी का जमीन अपना सम्पत्ति है जो मरौसी खतियान के द्वारा वादी के पिता मकसुद रैन के नाम से है और उक्त भूखण्ड पर शांतिपुर्ण दखल कब्जा है। वादी को उक्त भूखण्ड बजरिये मरौसी खतियान द्वारा वादी के पिता मकसुद रैन

के नाम से प्राप्त है। वादी का उक्त भूखण्डों के प्राप्त हिस्सा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी चला आ रहा है। वादी को उक्त भूखण्ड का जमाबन्दी भी अपने नाम कायम है।

वहीं दूसरी तरफ विपक्षीय का कहना है कि वादी का वाद पत्र वो वाद की भूमि अस्पष्ट है क्योंकि वाद पत्र के पारा 3 वो 4 में अंकित भूमि मात्र तीन प्लॉट है वो भी खाता खेसरा रकवा अंकित नहीं है जबकि वाद पत्र के अंत में 23 खेसराओं की भूमि है बहुत खेसरा नया वो पुराना है, चौहद्दी रकवा गलत है अतः वाद की भूमि अस्पष्ट है। वादी का वाद हक वो हिस्सा से संबंधित है हक वो हिस्सा का निर्धारण उक्त प्राधिकार को प्राप्त नहीं है हक वो का निर्धारण सक्षम न्यायालय को ही प्राप्त है। वादी के वाद पत्र के पारा 2, 3, वो 4 का कथन अस्पष्ट है जबकि सत्यता यह कि वाद पत्र की भूमि आपसी बटवारा से प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के समय से ही शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है साथ ही वादी के 1/2 वो 1/4 हिस्सा वादी साबित करने वो सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः उक्त कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक वाद की भूमि का प्रश्न है वाद की भूमि प्रतिवादी की खतियानी मरौसी जायदाद है जो उनके पूर्वजों के समय से आपसी बटवारा द्वारा प्राप्त अपने अपने हिस्सा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा वो उपभोग में चला आ रहा है एवं बिहार सरकार से राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। वाद की भूमि प्रतिवादीगणों को पूर्ण हक वो दखल कब्जा प्राप्त है एवं हाल सर्वे आमला ने प्रतिवादी का दखल कब्जा वो सुसंगत कागजात पाया फलस्वरूप उनके पिता के नाम से हाल खाता खुला एवं प्रकाशन वर्ष 2001 में किया गया। अगर वादी को कोई उजुरदावी था तो धारा 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत वाद दायर करनी चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया अतः वादी का वाद कालअवधि नियम से बाधित है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र के कंडिका 2 में वर्णित 16 खेसराओं में से 1/2 हिस्सा एवं कंडिका 3 में वर्णित 5 खेसराओं में से 1/4 हिस्से पर दावा किया गया है। जबकि भूमि के वितरण में 23 खेसराओं का जिक्र किया गया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में हाल खतियान की प्रति संलग्न की गई है जिसमें कुल 50 खेसराओं का जिक्र है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का अंश निर्धारण किया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी की खतियानी मरौसी जायदाद है जो उनके पूर्वजों के समय से आपसी बटवारा द्वारा प्राप्त अपने अपने हिस्सा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा वो उपभोग में चला आ रहा है। हाल खतियान में 50 खेसराओं का जिक्र होना एवं वादी द्वारा कुछ खेसराओं पर दावा किया जाना वाद को अस्पष्ट बना देता है। कोई बटवारानामा संलग्न

नहीं करने के कारण बहुत सारे खेसराओं में से किसी विशेष खेसराओं के विशेष हिस्से पर किसी एक पक्षकार के अधिकार का प्रख्यापित करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। तीन वंश के वाद इतने ज्यादा खेसराओं में पूर्वजों के जमीन से वंशजों के हिस्सा के निर्धारण एवं अधिकार के प्रख्यापन में जटिल स्वत्व न्याय-निर्णय करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञा अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित


15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल


15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल